रिपोर्टयोग्य

भारत के उच्चतम न्यायालय में
सिविल अपीलीय अधिकारिता
सिविल अपील संख्या 4826-4828 ऑफ 2022

गुरजीत सिंह (डी) एलआरस के माध्यम से ..... अपीलकर्तागण

बनाम

केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ और अन्य। ..... उत्तरदातागण

निर्णय

एम. आर. शाह, जे.

1. पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 2130/2011 और 2131/2011 में दिनांक 23.10.2013 के आक्षेपित फैसले और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए और बाद में 17.12.2013 को एलपीए संख्या 2130/2011 में सीएम संख्या 5249/2013 में पारित आदेश, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने रिट याचिकाओं को खारिज करते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित फैसले और आदेश की पुष्टि करते हुए, मूल रिट याचिकाकर्ता ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।
2. वर्तमान अपीलों की ओर ले जाने वाले तथ्य संक्षेप में निम्नानुसार हैं :-

2.1 यह कि अपीलकर्ता कृषि उपज बाजार, चंडीगढ़ में स्थित दुकान नं.27 का मालिक बन गया। इसमें प्रतिवादी नं.5 उक्त दुकान का किरायेदार था। दोनों अपीलकर्ता और प्रतिवादी नं.5 के पास बाजार क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए अपेक्षित लाइसेंस थे। अपीलकर्ता द्वारा प्रतिवादी नं.5 के खिलाफ उत्क्षेपण की कार्यवाही शुरू की गई। उत्सर्जन के आदेश की उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई। इसलिए, प्रतिवादी नं.5 को वर्ष 2007 में किरायेदार के रूप में दुकान नं.12 में स्थानांतरित कर दिया गया और नई दुकान के पते में परिवर्तन के लिए आवेदन किया, हालांकि, उसे अस्वीकार कर दिया गया और प्रतिवादी नं.5 को अपना लाइसेंस सरेंडर करने और नए के लिए आवेदन करने के लिए कहा गया। अपीलकर्ता ने फलों/सब्जियों की बिक्री के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन किया

और राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने इसे जारी किया। तब से, अपीलकर्ता अपने स्वामित्व वाली दुकान नं.27 से व्यवसाय चला रहा है।प्रतिवादी नं.5 ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की, जिसमें 05.07.2007 दिनांकित उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसके द्वारा नए दुकान नं. 12 के पते में परिवर्तन के लिए उसके आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया था। दिनांक 05.07.2007 के आदेश पर रोक लगा दी गई। यह रोक 31 मार्च, 2009 तक अर्थात प्रतिवादी नं.5 के लाइसेंस की वैधता तक जारी रही। उसके बाद, मार्केट कमेटी, चंडीगढ़ ने लाइसेंस के नवीकरण के लिए प्रतिवादी नं. 5 के आवेदन को अस्वीकार कर दिया। उच्च न्यायालय के समक्ष एक अन्य रिट याचिका, जो था रिट याचिका संख्या 5886/2009 का विषय भी यही था। वह उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में, प्रतिवादी नं. 5 पुराने लाइसेंस के अनुसार कार्य करता रहा। यह कि नीलामी मंच की लाइसेंसिंग नियमावली, 1981 के तहत गठित लाइसेंस समिति ने फैसला किया कि मंच में जगह "एक स्थान एक दुकान" के आधार पर आवंटित की जाएगी और प्रतिवादी नं. 5 का नाम अपीलकर्ता के साथ सह-आबंटी के रूप में दिखाया गया था। इससे असंतुष्ट होकर, अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की, जो रिट याचिका संख्या 12684/2009 है। उच्च न्यायालय ने 26.09.2011 दिनांकित एक सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा प्रतिवादी नं.5 द्वारा दायर रिट याचिका नं.5886/2009 को अनुमति दी और निर्देश दिया कि प्रतिवादी नं.5 के लाइसेंस का नवीकरण किया जाए। उच्च न्यायालय ने यह भी पाया किया कि प्रतिवादी नं.5 को तब तक दुकान नं. 27 के सामने प्लेटफार्म का उपयोग करने का अधिकार है जब तक कि प्लेटफार्म का उपयोग करने के अधिकारों के मुद्दे से संबंधित अधिनियम या नियमों में संशोधन के माध्यम से कोई वैकल्पिक नीति नहीं आती है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह भी पाया कि प्लेटफॉर्म का उपयोग करने और बाजार क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए लाइसेंस रखने का अधिकार दोनों अलग और भिन्न हैं और दोनों अधिकार सीधे रूप से जुड़े नहीं थे।

2.2 उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित समान निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ के समक्ष पत्र पेटेंट अपीलों को वरीयता दी। आक्षेपित सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने

इस पत्र की पेटेंट अपीलों को खारिज कर दिया है और एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की है जिसमें कहा गया है कि दुकान का उपयोग करने का अधिकार और/या लाइसेंस और प्लेटफॉर्म का उपयोग करने का अधिकार सीधे संबंधित नहीं है। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने यह भी कहा कि प्रतिवादी नं. 5, अपीलकर्ता द्वारा लाइसेंस प्राप्त करने से बहुत पहले, अर्थात्, 1970 से मंच का उपयोग कर रहा है और इसलिए, एक वरिष्ठ लाइसेंसी होने के नाते, उसे उसे आवंटित मंच का उपयोग करने का अधिकार प्राप्त है, अर्थात, दुकान नं. 27 के सामने।

2.3 उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित आक्षेपित सामान्य निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए मूल रिट याचिकाकर्ता-लाइसेंस धारक और दुकान नं.27 के मालिक ने, जो दुकान नं. 27 के सामने मंच का उपयोग करने के अधिकार का भी दावा कर रहे हैं, वर्तमान अपीलों को प्रस्तुत किया है।

3. अपीलकर्ता (ओं) की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी.एस. पटवालिया ने जोरदार रूप से प्रस्तुत किया है कि मूल प्रतिवादी नं.5 के पक्ष में, प्रश्नगत नीलामी मंच के आवंटन की पुष्टि करने में विद्वान एकल न्यायाधीश और उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने वस्तुतः गलती की है।

3.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसमें अपीलकर्ता को वर्ष 2007 में लाइसेंस प्रदान किया गया था, तथापि, जहां तक प्रतिवादी नं. 5 का संबंध है, उसने वर्ष 2009 में एक नए लाइसेंस/नवीकरण के लिए आवेदन किया और उसे वर्ष 2010 में एक नया लाइसेंस जारी किया गया और इसलिए, इसमें अपीलकर्ता वरीयता का हकदार था।

3.2 यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि वर्ष 2009 में नए लाइसेंस/नवीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करते समय भी, प्रतिवादी नं.5 ने दिनांक 20.08.2009 को एक हलफनामा प्रस्तुत किया जिसमें यह कहा गया था कि वह नीलामी मंच पर किसी भी अधिकार का दावा नहीं करेगा। वास्तव में लाइसेंस कथित हलफनामे के बाद ही जारी किया गया था।

3.3 आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त करने और यह अभिनिर्धारित करने में वस्तुतः गलती की है कि दुकान में और नीलामी

मंच पर व्यवसाय करना दोनों भिन्न और अलग हैं।प्लेटफॉर्म में किसी विशेष साइट का उपयोग करने का अधिकार बोर्ड की स्पष्ट नीति अर्थात "वन साइट वन शॉप" के मद्देनजर विशेष संबंधित दुकान का उपयोग करने के अधिकार से जुड़ा हुआ है।

3.4 यह प्रतिवाद किया गया है कि इसमें अपीलकर्ता व्यवसाय कर रहा है, उसके पास लाइसेंस है और उसे दुकान नं.27 आवंटित की जाती है और इसलिए, वह दुकान नं.27 के बगल में और/या उसके सामने नीलामी मंच के आवंटन का हकदार है।

3.5 आगे यह प्रतिवाद किया जाता है कि जहां तक प्रतिवादी नं.5 का संबंध है, वह दुकान नं.12 में व्यवसाय कर रहा है, इसलिए, अपीलकर्ता(ओं) को नीलामी मंच पर व्यवसाय करने की अनुमति नहीं देना जो दुकान नं. 27 से सटा हुआ है और प्रतिवादी नं.5 को नीलामी मंच आवंटित करना, जो दुकान नं.12 में व्यवसाय कर रहा है, दुकान नं.27 से बिल्कुल सटा हुआ, अनुचित और मनमाना है।

3.6 आगे यह प्रतिवाद किया गया है कि इसमें अपीलकर्ता ने प्रतिवादी नं.5 को स्थल के सह-आवंटन को चुनौती देते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश से संपर्क किया। कि किसी भी मामले में अपीलकर्ता(गण) इस तरह की चुनौती में सफल नहीं होते हैं, वे उस स्थिति की तुलना में खराब नहीं हो सकते हैं जिसमें वे रिट याचिका दायर करने से पहले थे।

4. वर्तमान अपीलों का श्री वत्सल जोशी ने जोरदार विरोध किया है, जो चंडीगढ़ मार्केट कमेटी की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता हैं।यह जोरदार प्रस्तुत किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 05.08.2016 को अंतरिम आदेश पारित किए जाने के बाद, इसमें अपीलकर्ता द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर विचार किया गया है और बाजार समिति द्वारा एक विस्तृत तर्कसंगत आदेश पारित किया गया है जिसमें अपीलकर्ता के अभ्यावेदन को अस्वीकार कर दिया गया है।

4.1 आगे यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि नीलामी मंच का आबंटन नीति के अनुसार किया जाना है। कि उच्च न्यायालय द्वारा यह उचित रूप से देखा गया है और पाया है कि दुकान में और नीलामी मंच पर व्यवसाय करना भिन्न और अलग हैं। इस प्रकार अपीलकर्ता की ओर से कोई नीति और/या नियम इंगित

नहीं किया गया है कि एक लाइसेंस धारक व्यवसाय और/या नीलामी प्लेटफॉर्म का आवंटन करने का हकदार है जो उसके कब्जे वाली दुकान के ठीक बगल में और/या उसके सामने है।

4.2 आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि प्रतिवादी नं.5 को 1970 से व्यवसाय करते हुए पाया गया था और उसके बाद, उसने वर्ष 2009 में लाइसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन किया, उसे दुकान नं. 27 के सामने मंच आवंटित किया गया है।

4.3 यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलकर्ता और/या संबंधित दुकान में व्यवसाय करने वाला कोई अन्य लाइसेंस धारक किसी विशेष स्थान पर नीलामी प्लेटफॉर्म के सही दावे के आवंटन के मामले के रूप में नहीं हो सकता है।

4.4 यह प्रतिवाद किया गया है कि इस प्रकार, बाजार समिति में मौजूदा शेड 10.06.2007 को ध्वस्त हो गए और उसके बाद, शेडों का पुनर्निर्माण वर्ष 2009 में किया गया। इसके बाद, कृषि सचिव, संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़ ने पहली बार सिद्धांतों और दिशा-निर्देशों को निर्धारित किया, उन सभी आवंटियों को जिन्हें 10.06.2007 को शेड के ढहने से पहले काम करने के लिए शेड आवंटित किए गए थे, वे शेड/स्थान आवंटित करने के हकदार थे क्योंकि वे शेड के ढहने की तारीख को मौजूद थे। कि अपीलार्थी को 16.07.2007 को लाइसेंस जारी किया गया था, जबकि शेड 10.06.2007 को ध्वस्त हो गया था, इसलिए, अपीलकर्ता के पास 10.06.2007 को ढहने से पहले शेड का कब्जा नहीं था और इसलिए, उसका मामला उपरोक्त नीति के तहत शामिल नहीं है।

4.5 आगे यह प्रतिवाद किया गया है कि शेड आवंटित करने में बाजार समिति की कार्रवाई सचिव, कृषि विभाग, चंडीगढ़ द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों/नीति के पूरी तरह से अनुरूप है।

5. वर्तमान अपीलों का विरोध करते हुए, प्रतिवादी नं.5 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि ऐसे प्रतिवादी नं. 5, 10.06.2007 को शेड के ढहने के समय भी मंच पर व्यवसाय कर रहा था और उसके पास 1970 से वैध लाइसेंस था। तथापि, नवनिर्मित शेडों के आबंटन के समय गैर-संक्षिप्त नवीकरण के कारण फर्म का लाइसेंस वैध नहीं था और लाइसेंस प्रदान करने का

मामला समिति के कार्यालय में विचाराधीन था और इसे फरवरी, 2010 में अंतिम रूप से मंजूर कर लिया गया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उसके बाद समिति के गठन पर शेड का आवंटन प्रतिवादी नं. 5 को किया गया था, जो कि समिति का लाइसेंसी था और शेड के गिरने से पहले शेड का कब्जा धारक था। उपरोक्त प्रस्तुतियां देते हुए यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान अपीलों को खारिज कर दिया जाए।

6. हमने संबंधित पक्षों की ओर से पेश होने वाले विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना है। हमने विद्वान एकल न्यायाधीश के साथ-साथ उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेशों का अध्ययन किया है।

6.1 शुरुआत में, यह नोट किया जाना आवश्यक है कि अपीलकर्ता शेड/नीलामी मंच का दावा कर रहा है जो दुकान नं.27 और/या किसी अन्य स्थान के ठीक बगल में है। हालांकि, अपीलकर्ता शेड/नीलामी प्लेटफॉर्म के आवंटन के संबंध में कोई विशिष्ट नियम और/या विनियम स्थापित करने और/या दिखाने में असमर्थ है और वह भी, बस बगल और/या दुकान के सामने जिसमें एक विशेष व्यक्ति व्यवसाय कर रहा है। इसलिए, अपने पक्ष में किसी विशेष अधिकार के अभाव में, अपीलकर्ता अपनी दुकान नं.27 के ठीक बगल में और/या उसके सामने शेड/नीलामी मंच के आवंटन के लिए प्रार्थना नहीं कर सकता था।

6.2 इस स्तर पर, यह नोट किया जाना आवश्यक है कि अन्य व्यक्तियों को भी विभिन्न स्थानों पर दुकानें/नीलामी प्लेटफार्म आवंटित किए जाते हैं।यह भी ध्यान देने योग्य है कि व्यापार करने वाले व्यक्तियों की संख्या नीलामी प्लेटफार्मों की उपलब्धता से अधिक है।

6.3 इस स्तर पर, यह भी नोट किया जाना आवश्यक है कि इस न्यायालय द्वारा 06.05.2016 और 05.08.2016 को पारित आदेशों के अनुसरण में, याची-अपीलकर्ता ने अभ्यावेदन किया। आदेश इस प्रकार हैं :-

> "वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पटवालिया ने कहा कि कुछ अन्य मंच भी उपलब्ध हैं। यदि ऐसा है, तो प्रतिवादीगण संख्या 2 से 4 इस पर विचार कर सकते हैं कि क्या ऐसा एक मंच याचिकाकर्ता को आवंटित किया जा सकता है या नहीं.

याचिकाकर्ता एक सप्ताह के भीतर इस संबंध में एक प्रतिवेदन देने का हकदार है। अगस्त, 2016 में इस मामले को सूचीबद्ध करें।"

xxx

"याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी. एस. पटवालिया ने कहा कि मंच संख्या 13 उपलब्ध है।

प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि मामला विचाराधीन है और चार सप्ताह की अवधि के भीतर इसका निर्णय किया जाये।

हमें उम्मीद है कि प्रतिवादीगण इस पर अनुकूल विचार करेंगे।

चार सप्ताह के बाद याचिकाओं को सूचीबद्ध करें।"

यहां तक कि अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए बयान पर विचार करने करने के लिए प्रतिनिधित्व की अनुमति दी गयी थी कि कुछ अन्य मंच हैं जो उपलब्ध हैं और उस पर, इस न्यायालय ने कहा कि यदि ऐसा है, तो प्रतिवादीगण संख्या 2 से 4 इस पर विचार कर सकते हैं कि क्या ऐसा एक मंच अपीलकर्ता को आवंटित किया जा सकता है या नहीं। कि उसके बाद, अपीलकर्ता द्वारा एक अभ्यावेदन दिया गया था, जिस पर समिति द्वारा एक विस्तृत आदेश द्वारा विचार किया गया और अस्वीकार कर दिया गया है, जो स्वतः स्पष्ट है।

6.4 ज्ञापन/आदेश में, यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि पहले शेड 10.06.2007 को ढह गया था और उसके बाद, वर्ष 2009 में शेड का पुनर्निर्माण किया गया था और कृषि सचिव द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसरण में एक नीतिगत निर्णय लिया गया था कि 10.06.2007 को शेड के ढहने से पहले जिन सभी आवंटियों को काम करने के लिए शेड आवंटित किए गए थे, वे शेड/स्थान आवंटित किए जाने के हकदार थे क्योंकि वे शेड के ढहने की तारीख को मौजूद थे। इसके बाद सचिव के निर्देश के अनुसार नीलामी प्लेटफार्मों के आवंटन के संबंध में सिद्धांतों और दिशा-निर्देशों के अनुसार आवंटन किया गया है। ये दिशा-निर्देश इस प्रकार हैं:-

"1. सबसे पहले उन सभी आवंटियों को जिन्हें 10.06.2007 को शेड ढहने से पहले काम करने के लिए शेड आवंटित किए गए थे, उन्हें शेड/स्थान आवंटित किए जाएंगे क्योंकि वे शेड ढहने की तारीख को बाहर निकल गए थे।

2. यदि इसके बाद और अधिक स्थान उपलब्ध हैं, तो उन स्थानों का विज्ञापन किया जाएगा और आवेदन आमंत्रित करने की तारीख को वास्तविक लाइसेंस धारकों से नए आवेदनों को आमंत्रित किया जाएगा या ऐसे लाइसेंसधारक जिनके लाइसेंस नवीकरण के लिए देय हैं और आवेदन आमंत्रित करने की तारीख तक सक्षम प्राधिकारी के पास नवीकरण के लिए लंबित हैं, उन्हें कम से कम 20 दिनों का नोटिस देने के बाद बुलाया जाएगा।एक बार ऐसा हो जाने के बाद और कानूनी रूप से वैध आवेदनों के मामले में उपलब्ध स्थान की संख्या से अधिक होने पर, अध्यक्ष, बाजार समिति, संयुक्त सचिव, कृषि विपणन बोर्ड और उपस्थित होने के इच्छुक आवेदकों की उपस्थिति में ड्रॉ आयोजित किया जाएगा। ड्रा के आधार पर आगे स्थलों/कार्यस्थलों का आवंटन किया जाएगा।

3. इन निर्देशों का तब तक पालन किया जाएगा जब तक सरकार अधिनियम के तहत एक नया नियम नहीं बनाती और नए दिशा-निर्देश नहीं देती।

इस मामले में मेरे निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए, मेरी यह राय है कि 10.06.2007 को अपना व्यवसाय कर रहे पूर्व आवंटियों के अलावा किसी अन्य को किया गया कोई भी आवंटन उचित और वैध नहीं है और इसे खारीज किए जाने की आवश्यकता है।

मैं बाजार समिति को उन आवंटियों को आवंटित स्थल/शेड को रद्द करने के लिए नोटिस जारी करने का निर्देश देता हूं जो 10.06.2007 तक आबंटित नहीं थे और उन्हें सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, इस आदेश में निर्धारित सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए उचित आदेश पारित कर सकते हैं।"

6.5 इसके बाद, कृषि सचिव द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों/सिद्धांतों के अनुसार आवंटन किया गया है। इन परिस्थितियों में, अपीलकर्ता नीलामी मंचों के आवंटन के संबंध में सचिव द्वारा जारी सिद्धांतों और दिशा-निर्देशों के पालन और/या आवंटन डेहोर अवलोकन के किसी भी तरजीही उपचार का हकदार नहीं है। अपीलकर्ता को बाजार

में और नीलामी मंच पर व्यवसाय करने वाले अन्य व्यक्तियों के समान और बराबर माना जाएगा।

6.6 यहां तक कि उच्च न्यायालय द्वारा ठीक ही मत व्यक्त किया गया है, दुकान में कारोबार करना और नीलामी मंच पर कारोबार करना, दोनों अलग और भिन्न हैं।केवल इसलिए कि एक व्यक्ति के पास लाइसेंस है और वह किसी विशेष दुकान में व्यवसाय कर रहा है, वह अधिकार के रूप में नीलामी मंच का हकदार नहीं है और वह भी अपनी दुकान के सामने और/या आसपास।इस तरह के दावे का समर्थन करने वाले किसी भी नियम और/या विनियम और/या दिशानिर्देश को उच्च न्यायालय या यहां तक कि इस न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाया गया है।

6.7 अब जहां तक प्रतिवादी नं.5 के पक्ष में नीलामी मंच के आबंटन का संबंध है, यह नोट किया जाना आवश्यक है कि बाजार समिति और प्रतिवादी नं.5 के अनुसार, प्रतिवादी नं.5 के पास लाइसेंस है और वह 1970 से व्यवसाय कर रहा है, जबकि इसमें अपीलकर्ता को 16.07.2007 को लाइसेंस मिला था। ऐसा प्रतीत होता है कि जब नवनिर्मित शेड का आवंटन किया गया था, तब संबंधित समय पर, प्रतिवादी नं.5 के लाइसेंस का नवीकरण नहीं किया गया था और/या गैर-नवीकरण के कारण वैध नहीं था और लाइसेंस प्रदान करने का मामला समिति के कार्यालय में विचार के लिए लंबित था, जो फरवरी, 2010 में दिया गया था। इसके बाद, शेड को प्रतिवादी नं.5 के पक्ष में आवंटित किया गया है, जो बाजार समिति का लाइसेंसी है और शेड के ढहने से पहले शेड का कब्जा धारक था। प्रतिनिधित्व तय करते समय बाजार समिति द्वारा इन सभी पहलुओं पर विस्तार से विचार किया गया है।

7. उपरोक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए और इसके विपरीत किसी विशेष नियम/विनियम के अभाव में और जब शेड का आवंटन कृषि सचिव के सिद्धांतों/दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है, तो इसमें ऊपर प्रस्तुत किया गया है, और अपीलकर्ता (ओं) के पक्ष में किसी विशेष नियम के अभाव में, अपनी दुकान के ठीक सामने और/या उससे सटे हुए आवंटन का दावा करने का अधिकार। जब नीति और दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिवादी नं.5 के पक्ष में आवंटन किया जाता है, तो उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश और खंड पीठ दोनों ने अपीलकर्ता के खिलाफ सही अभिनिर्धारित किया है और उचित रूप से रिट याचिकाओं और अपीलों को खारिज कर दिया है।हम उच्च न्यायालय के विचारों से पूरी तरह सहमत हैं।

8. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और ऊपर बताए गए कारणों से, वर्तमान अपीलों में योग्यता की कमी है और इन्हें खारिज किया जाना चाहिए और तदनुसार खारिज किया जाता है। कोई कॉस्ट नहीं।

.....जे.
[एम. आर. शाह]
….....जे.
[बी. वी. नागारत्ना]

03 मार्च, 2023
नई दिल्ली

अस्वीकरणः स्थानीय भाषा में अनुवादित निणर्य वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्येश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्येश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्धेश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

Translated by Mr Lekh Nath Gautam, Translator.